न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 77/2011 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2011/00079**

1. ईमरताराम पुत्र श्री रतनाराम जाति जाट (जाट) निवासी ग्राम बिलणीयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनामे

1. लिछमणराम पुत्र रतनाराम कोम जाट (ढाका) वार्ड नं. 31 जाटो का बास नापासर तहसील बीकानेर।
2. मु. चम्पा पुत्री रतनाराम कोम जाट (ढाका) निवासी मौहल्ला नारसीसर नापासर तहसील बीकानेर।
3. मु. पूरा पुत्री रतनाराम कोम जाट (ढाका) निवासी मौहल्ला नारसीसर नापासर तहसील बीकानेर।
4. म. कानी पत्नि देदाराम कोम जाट निवासी बिलणीयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. ग्राम पंचायत गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सत्यनारायण तिवाड़ी एवं अभिभाषक अपीलांट्स
विनोद कुमार पुरोहित
श्री गोविन्द डूडी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 4

निर्णय

दिनांक 20.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 26.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम बिलनियासर तहसील नोखा में खसरा नंबर 122/32 तादादी 62 बीघा भूमि अपीलांट के पिता रतनाराम पुत्र बल्लाराम के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि थी। रतनाराम पुत्र बल्लाराम की मृत्यु के पश्चात रतनाराम के वारिसान क्रमशः लिछमणराम, ईमरताराम, मु. चम्पा एवं मु. पूरा के नाम इंतकाल संख्या 208 दर्ज किया गया। अपीलांट्स ने इंतकाल संख्या 208 दिनांक 18.05.1988 के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा को प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने अपील यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि अपीलांट द्वारा उक्त इंतकाल की चुनौती समयावधि के भीतर नहीं करने के कारण अपील खारिज योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 26.07.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस एवं लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता स्व रतनाराम ने दिनांक 24.06.1981 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बैय की थी। 1981 के बाद से अपीलांट का वादगत भूमि पर खरीद के आधार पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के पिता के स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट के पीठ पिछे ग्राम पंचायत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने विरासतन इंतकाल संख्या 208 दर्ज करवा लिया। उक्त इंतकाल के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 ने विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को 7.91 हैक्टयर भूमि बैय कर दी जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 को कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने ग्राम पंचायत के साथ मिलकर अपीलांट के पक्ष में हुए बैयनामें के आधार पर इंतकाल संख्या 190 स्वीकृत नहीं होने दिया। न्यायिक दृष्टिांत आर.एल.डब्ल्यू 2009(2) पेज संख्या 877(2) एवं आर.एल.डब्ल्यू 2007(2) पेज 777 के अनुसार सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया जाना चाहिए परन्तु इंतकाल [illegible] दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1994 पेज संख्या 496 आर.आर.डी [illegible] पेज संख्या [illegible] एवं आर.बी.जे [illegible] पेज संख्या 108 के [illegible] लागू नहीं होता है परन्तु उक्त प्रकरण में अनुसार इंतकाल [illegible] आदेश पर [illegible] भरे गए इंतकाल को 45 दिन बाद खारिज कर अपीलांट के पक्ष में हुए बैयनामे के आधार पर भरे गए इंतकाल संख्या 208 भी 45 दिन बाद दिया गया और रतनाराम के सभी वारिसान के नाम इंतकाल [illegible] को नहीं था। न्यायिक दृष्टांत आर तस्दीक किया गया है। [illegible] द्वारा [illegible] बैयनामे के बाद सभी विरासतन इंतकाल शून्य आर.डी 1979 पेज संख्या 1 [illegible] के अनुसार बैयनामे के बाद [illegible] भूमि का विक्रय करने के पश्चात उसके होता है परन्तु उक्त प्रकरण में [illegible] द्वारा बादग्रस्त भूमि का विक्रय करने के पश्चात उसके कोई अधिकार अपीलाधीन भूमि पर शेष नहीं थे। ऐसी स्थिति में विरासतन इंतकाल तस्दीक नहीं किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1994 पेज संख्या 45 एफ के अनुसार अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में किये गये शपथ–पत्र के विरोध में काउन्टर शपथ–पत्र नहीं होने की स्थिति में अपील अंदर मियाद मानी जाती है परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील मियाद बाहर माननते की गलती की है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1996 पेज संख्या 319, आर.बी.जे 2002 पेज संख्या 608, 381 एव ए.आइ.आर 1987 एससी 1357 के अनुसार मियाद के बिन्दु को निर्णित करते समय मेरिट को ध्यान में रखना चाहिए परन्तु उक्त प्रकरण में मियाद का बिन्दु निर्णित करने से पूर्व गुणावगुण का ध्यान नही दिया गया। मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु को दरकिनार कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए। न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे 1999 पेज संख्या 115 के अनुसार एक तरफा तौर पर प्रदत्त निर्णय की मियाद निर्णय के दिन से प्रारंभ नहीं होकर जानकारी से प्रारंभ होती है तथा जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत किया जाने पर मियाद प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपीलांट ने मियाद प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1987 पेज संख्या 106 ई–एच.सी एवं आर.आर.डी 1987 पेज संख्या 97 बी–एचसी के अनुसार नामांतरण की कार्यवाही फिसकल कार्यवाही होती है नामांतरण की कार्यवाही से किसी को अधिकार प्राप्त नही होते है। न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे 2011 पेज संख्या 88–89 पैरा 11 से 13 एवं आर.आर.डी 2003 पेज संख्या 276 के अनुसार रजिस्टर्ड बैयनामें के मौजूद रहते जांच की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के नाम बैयनामा किया जाने के बाद अपीलांट के नाम इंतकाल तस्दीक नही कर विरासतन इंतकाल तस्दीक किया जाने में गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पक्ष में हुए बैयनामें को निरस्त करने के लिए न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 बीकानेर में वाद पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 बीकानेर में अपीलांट का दावा स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पक्ष में में हुआ बैयनामा अपने निर्णय दिनांक 07.09.2018 व संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2019 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। जिसकी पालना व रजिस्ट्रार द्वारा नोट भी अंकित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.07.2011 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टितों का हवाला दिया हैं

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि को इंतकाल विरास्तन दर्ज किया गया हैं जो विधि के अनुसार सही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पिता रतनाराम पुत्र बल्लाराम द्वारा कोई बैयनामा नहीं किया गया था। बैयनामा फर्जी है। तत्कालीन समय में फोटो स्कैनिंग आदि नहीं होते थे। उक्त वादग्रस्त बैयनामा वर्ष 1981 में किया भी गया था और अपीलांट रतनाराम की मृत्यु के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है। विरास्तन इंतकाल संख्या 208 जो दर्ज किया गया है उसी के अनुसार सभी वारिस अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि कानी पत्नी देदाराम को विक्रस की दी गई है और कानी पत्नी देदाराम तब से कब्जा काश्त है। अपीलांट के उक्त वादग्रस्त बैयनामें के विरूद्ध सिविल न्यायालय में वाद चल रहा है। जहां से इस प्रकरण का अंतिम निर्णय होना है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने भी विरासतन इंतकाल संख्या को सही मानते

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हुए अपील को अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टांत, अपीलांट की लिखित बहस तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2011 पारित करते हुए अपील को मियाद बिन्दु पर खारिज कर दिया। वादग्रस्त भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 208 दिनांक 18.05.1988 को दर्ज किया गया था किन्तु उक्त इंतकाल बाबत अपील 11 वर्ष पश्चात 1999 में प्रस्तुत की। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट के पिता रतनाराम पुत्र बल्लाराम ने अपीलांट के पक्ष में बैयनामा वर्ष 1981 में किया गया, उक्त बैयनामा के आधार पर अपीलांट ने अपने पिता रतनाराम पुत्र बल्लाराम के जीवित रहते हुए नामांतरकरण दर्ज नहीं करवाया।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.07.2011 न्यायोचित एवं सही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2011 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/8/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर सत्यमेव जयते